कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जे0 एस0 फैब्रिक्स, 68 / 12, भूसा टोली, कानपुर।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**015 /2015, 11.05.2015**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री जे0 एस0 फैब्रिक्स, 68 / 12, भूसा टोली, कानपुर द्वारा दिनांक 11.05.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा कैनवेस कनोपी पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 08.11.2016 के लिए नोटिस भेजी गयी। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर के पत्र संख्या-449, दिनांक 04.06.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा कैनवेस कनोपी के निर्माण बिक्री का व्यापार किया जाता है तथा दाखिल किये गये रूपपत्रों में उक्त स्वनिर्मित वस्तु की बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए कर जमा किया जा रहा है। चूँकि व्यापारी द्वारा रूपपत्रों में करदेयता स्वीकार की जा चुकी है इसलिए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में निहित प्राविधान के अनुसार रूपपत्र दाखिल करते ही करदेयता का बिन्दु कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन हो जाता है। अत: प्रार्थना-पत्र धारा-59 (1) के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा कैनवेस कनोपी की बिक्री पर 12.5 + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए नक्शों में घोषित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। चूँकि प्रश्नगत प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा कर विवरणी दाखिल की गयी है। अत: प्रश्नगत प्रश्न का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है इसलिए आवेदनकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी प्रश्नगत व्यापारी के ही प्रार्थना-पत्र पर पूर्व में प्रार्थना-पत्र संख्या-42 / 10 में इसी बिन्दु पर आदेश दिनांक 09.08.2010 द्वारा निर्णय दिया जा चुका है। अत: पुन: इसी बिन्दु पर दिया गया प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

<u>सर्वश्री जे0 एस0 फैब्रिक्स / प्रा0 पत्र सं0-015 / 15 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा कैनवेस कनोपी की बिक्री पर 12.5 + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वीकार करते हुए नक्शों में घोषित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है। वैसे भी प्रश्नगत व्यापारी द्वारा इसी बिन्दु पर दिया गया प्रार्थना-पत्र संख्या-42 / 10 दिनांक 09.08.2010 को निर्णीत किया जा चुका है। अत: पुन: उसी बिन्दु पर व्यापारी द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 नवम्बर, 2016

ह0 / 24.11.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।